भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4358
उत्तर देने की तारीख 02.04.2026

थेय्यम परंपराओं का संरक्षण

4358. **श्री संदोष कुमार पी :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरी केरल के थेय्यम को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण रूप मानती है;
(ख) क्या यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में थेय्यम को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति क्या है;
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तरी केरल में थेय्यम कलाकारों, मंडलियों और सांस्कृतिक संस्थानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार थेय्यम परंपराओं के प्रलेखन और संरक्षण के लिए एक समर्पित सांस्कृतिक केंद्र, संग्रहालय या अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का विचार रखती है; और
(ङ) पारंपरिक थेय्यम कलाकारों को कल्याणकारी सहायता, बीमा और पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध और विविध परंपराओं को मान्यता देने का अधिदेश है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय अनुष्ठानिक कला रूप शामिल हैं जिसके लिए अनुसंधान और उचित दस्तावेजीकरण किया जाता है ताकि इन तत्वों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया जा सके। तथापि, थेय्यम को उक्त सूची में शामिल करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग): संस्कृति मंत्रालय विभिन्न स्कीमों का संचालन करता है जिसके अंतर्गत केरल राज्य सहित देश भर में विभिन्न कला रूपों के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तिगत कलाकारों, मंडलियों और सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता/मासिक सहायता (वयोवृद्ध कलाकारों के

लिए) प्रदान की जाती है। इसमें निधि के राज्य-वार/क्षेत्र-वार या विशिष्ट कला रूप से संबंधित आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। इस मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत केरल राज्य में संगठनों/व्यक्तियों को वितरित की गई राशि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ): इस मंत्रालय का एक संगठन, संगीत नाटक अकादमी (एसएनए), विभिन्न कला रूपों और परंपराओं के दस्तावेजीकरण और परिरक्षण के लिए आईसीएच स्कीम का संचालन करता है। तथापि, केरल की थेय्यम परंपरा के लिए समर्पित संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ): सरकार ने थेय्यम कलाकारों सहित साधकों, लोक कलाकारों और पारंपरिक प्रदर्शन करने वाले कलाकारों की सहायता के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें संस्कृति मंत्रालय और इसके संगठनों, जैसे कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) के माध्यम से पारंपरिक कला रूपों को बढ़ावा देने, परिरक्षित करने और इनका प्रसार करने के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल है। देश भर में सांस्कृतिक उत्सवों, मेलों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के आयोजन के माध्यम से वित्तीय सहायता, मानदेय, यात्रा भत्ता और प्रदर्शन के अवसरों के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक

'थेय्यम परंपराओं का संरक्षण' के संबंध में दिनांक 02.04.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4358 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कला संस्कृति विकास योजना के तहत केरल राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान संगठनों/लाभार्थियों की संख्या और संवितरित/निकासी के लिए अधिकृत राशि का विवरण:-

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	**स्कीम का नाम**	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-24		2024-25	
		संगठनों/ लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों/ लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों/ लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	संगठनों/ लाभार्थियों की संख्या	निकासी के लिए अधिकृत राशि	संगठनों /लाभार्थियों की संख्या	निकासी के लिए अधिकृत राशि
1	गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)	9	90.6	9	81.12	37	264.4	38	318.06	19	169.71
2	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	18.75	2	32.50
3	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	23	37.03	28	57.52	30	48.38	30	40.27	21	65.13
4	बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास हेतु वित्तीय सहायता	0	0	0	0	1	13.5	0	0	0	0
5	स्टूडियो थियेटर स्कीम सहित निर्माण अनुदान	0	0	0	0	1	1.4	0	0	0	0
6	संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम	57	52.20	43	68.40	62	85.20	60	54.00	54	73.80
7	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम	91	27.30	74	22.20	20	6.00	71	21.30	48	14.40
8	वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता	24	8.18	57	24.49	51	25.3	67	64.21	80	85.82
